2018/01235

राजस्व लोक अदालत केम्प देवरिया तहसील पचपदरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस मुकदमा न0 344/2018

वादीगण :– 1 ग्राम पंचायत देवरिया, पटवारी नागाणा, आर.आई मण्डली

बनाम

प्रतिवादीगण :– 1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

136 आर.एल आर. **प्रार्थना पत्र**

निर्णय दिनांकः–22.05.2018

वादी ने यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल आर के अन्तर्गत राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत देवरी प्रस्तुत की गई है।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्व देवरिया मे पेश हुई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया कि ग्राम देवरिया वग्राम नागाणा के लट्टा ट्रेस में ग्राम देवरिया के खसरा न0 41 रकबा 124.09 बीघा भूमि से जुडती हुई बालोतरा से जोधपुर रोड बनी हुई है। खसरा संख्या 41 के अन्दर लट्टा ट्रेस के अन्दर 0.10 बीघा भूमि की तरमीम कर सडक दर्शायी हुई है। परन्तु ग्राम देवरिया की जमाबंदी के अन्दर खसरान0 41 मे से नया खसरा नही बनाया गया है। खसरा सख्या 41 का रकबा में से तरमीम किये गये रकबे का कम नहीं किया गया है। जिसके कारण लट्टा ट्रेस में की गई तरमीम का नया खसरा न0 41 का रकबा में से तरमीम किये गये रकबे को कम नहीं किया गया है। जिसके कारण लट्टा ट्रेस मे की गई नतरमीम का नया खसरा न0 दर्ज नहीं किया जा सकता व ग्राम ग्राम नागाणा क खसरा न0 140 व 141 के अन्दर से सडक निकलने के कारण खसरा सख्या 140 व 141 के टूकडे हो गये वर्तमान जमाबंदी अनुसार खसरा न0 140 मे से खसरा सख्या 269/140 रकबा 1.02 गैर मुमकिन सडक व ख0न0 268/140 रकबा 126. 3 में गैर मुमकिन ओरणा व खसरा सख्या 141 मे से ख0न0 271/141 रकबा 0.01 गैर मुमकिन सडक खसरा न0 270/141 रकबा 5.04 बीघा गैर मुमकिन रास्ता के नाम से दर्ज किया हुआ है। जबकि ग्राम पंचायत नागाणा कें वर्तमान लट्टा ट्रेस नक्शे के अन्दर खसरा न0 140 सख्या 141 के तीसरे टुकडे के लट्टा में खसरा दर्ज नहीं है तथा वर्तमान जमाबंदी उसका कोई इन्द्राज

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प.........................

Scanned by CamScanner

उक्त ख0न0 दर्ज नहीं खसरो का रकबा 140 मे 4 बीघा व खसरा न0 141 मे 0.02 बीघा भूमि बनता है। अतः ग्राम देवरिया के खसरा न0 41 मे से 0.10 बीघा व

ग्राम नगाणा के खसरा न0 140 मे से 4 बीघा, ख0न0 141 मे से 0.02 बीघा भूमि के तरमीम किय अनुसार नये खसरा न0 दर्ज करने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन किया पटवारी नागाणा, आर0आई0 मण्डली व संलग्न जामबंदी नक्शा का अवलोकन व अध्ययन किया गया जिसमे ग्राम नगाणा के खसरा न0 140 के नये खसरा न0 268/140 रकबा 122.03 गैर मुमकिन ओरण, ख0न0 269/140 रकबा 1.02 गैर मुमकिन सडक, खसरा न0 140 रकबा 4.00 बीघा गैर ओरण, ख0न0 141 के नये खसरान 270/141 रकबा 5.02 गैर मुमकिन रास्ता, ख0न0 271/141 रकबा 0.01 गैर मुमकिन सडक खसरा सख्या 141 रकबा 0.02 गैर मुमकिन रास्ता, ग्राम देवरिया के खसरा न0 41 के नये खसरा न0 41 मीन रकबा 123.19 बा.दो एव ख0न0 41 रकबा 0.10 गैर मुमकिन सडक दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में व लट्टा ट्रेस में इन्द्राज करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिये जाते है।

आदेश राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में सुनाया गया ।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प.......................

Scanned by CamScanner